<u>कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।</u>

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-10/2024

दिनांक 22/10/2024

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720, दिनांकः जून 04,2020 व पत्र संख्याः 41/6-पु-3/2020, दिनांकः 04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है। कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 21.10.2024 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना गहमर पुलिस टीम द्वारा 08 राशि गोवंश व 01 अदद वाहन UP61AT0270 पिकअप के साथ 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 21.10.2024 को उ0नि0 विवेक कुमार पाठक चौकी प्रभारी बारा थाना गहमर गाजीपुर मय टीम द्वारा चौकी बारा के पास थाना गहमर गाजीपुर से अभियुक्त पंकज यादव पुत्र देवनाथ यादव निवासी कालोपुर थाना सुहवल जनपद गाजीपुर के कब्जे से एक पिकअप में 08 राशि बछडा बरामद किया गया तथा मौके से अभियुक्त मनीष यादव पुत्र भगेलू यादव निवासी सुहवल जनपद गाजीपुर अँधेरे का लाभ उठाकर भाग गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 189/2024 धारा 3/5A/5B/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 बनाम 1. पंकज यादव पुत्र देवनाथ यादव निवासी कालोपुर थाना सुहवल जनपद गाजीपुर 2. मनीष यादव पुत्र भगेलू यादव निवासी सुहवल जनपद गाजीपुर 3. सद्दाम पुत्र अब्दुल कलाम उर्फ उदल निवासी उसिया थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर का पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता</u> — 1. पंकज यादव पुत्र देवनाथ यादव निवासी कालोपुर थाना सुहवल जनपद गाजीपुर उम्र 30 वर्ष

बरामदगी का विवरण – अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद वाहन UP61AT0270 पिकअप मे 08 राशि गोवंश बरामद हुआ।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास —

- 1. मु0अ0सं0 189/2024 धारा 3/5A/5B/8 गोवध नि0 अधि0व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना गहमर जनपद गाजीपुर
- 2. मु0अ0सं0 11/2023 धारा 279,337,338 आईपीसी थाना सुहवल जनपद गाजीपुर
- 3. मु0अ0सं0 133/2019 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना सुहवल जनपद गाजीपुर

02. थाना भुड़कुड़ा पुलिस द्वारा दिनांक 20.10.2024 को थाना भुड़कुड़ा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चौजा खास पुल मगई नदी से 08 माह की बच्ची को मगई नदी मे पुल से फेक कर मार देने का सफल अनावरण करते हुए 01 नफर अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलायें जा रहें अभियान के तहत दिनांक 21.10.2024 को थाना भुड़कुड़ा क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्ता सुलेखा देवी पत्नी अनील राम निवासी ग्राम रामपुर पतारी थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर द्वारा अपनी स्वयं की बच्ची उम्र करीब 08 माह को मगई नदी में फेक कर मार देने के सम्बन्ध में थाना भुड़कुड़ा पर पंजीकृत मु0अ0स0 144/2024 धारा 103(1) बीएनएस थाना भुड़कुड़ा गाजीपुर में थाना भुड़कुड़ा पुलिस टीम द्वारा लगातार किये जा रहे प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 21.10.2024 को बेलहरा मोड थाना दुल्लहपुर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पताः-

- 1. सुलेखा देवी पत्नी अनील राम निवासी ग्राम रामपुर पतारी थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर। अपराधिक इतिहास अभियुक्त ---
- 1. मु0अ0स0 144/2024 धारा 103(1) बीएनएस थाना भुडकुडा गाजीपुर।

03. थाना सैदपुर व थाना एनटीएफ पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा 01 किलो 215 ग्राम हेरोइन (जिसकी अन्तराष्ट्रीय कीमत 02 करोड़ 43 लाख रू0 लगभग है) नाजायज हिरोइन के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करनें में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहें अभियान के तहत दिनांक 20.10.2024 को थाना सैदपुर व थाना एनटीएफ पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अन्तर्राज्यीय मादक पदार्थ (हेरोइन) की अवैध तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को मादक पदार्थ (हेरोइन) की 01 किलो 215 ग्राम हिरोइन के साथ शरीफपुर पुल के पास थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। हेरोइन की अवैध तस्करी करने वाले अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 227/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. प्यारे लाल सुमन पुत्र रामविलास निवासी ग्राम सोनवरसा पोस्ट गठिया थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर उम्र करीब 30 वर्ष।

अपराधिक इतिहास

- 1. मु0अ0सं0- 227/2024 धारा ८/21 एनडीपीएस एक्ट थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर। बरामदगी:-
- 1 .01 किलो 215 ग्राम हेरोइन (जिसकी अन्तराष्ट्रीय कीमत 02 करोड़ 43 लाख रू0 लगभग है)

<u>04. थाना भांवरकोल पुलिस द्वारा एक अदद पिकअप महिन्द्रा रिज0नं0 UP60AT3914 में लदे 05 राशि</u> गाय के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 21.10.2024 को थानाध्यक्ष विवेक तिवारी मय हमराह पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के पास चेकिंग के दौरान एक अदद पिकअप महेन्द्रा रिज0नं0 UP60AT3914 जिस पर लदे 05 राशि गाय को अभियुक्त मंजीत यादव पुत्र शेषनाथ यादव ग्राम अलावलपुर एकवारी थाना सुखपुरा जिला बलिया उम्र 22 वर्ष के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम व पताः-

1. मंजीत यादव पुत्र शेषनाथ यादव ग्राम अलावलपुर एकवारी थाना सुखपुरा जिला बलिया उम्र 22 वर्ष । आपराधिक इतिहास

- 1 .मु0अ0सं0 143/2023 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर।
- 2 .मु0अ0सं0 177/2023 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर। बरामदगी
- 1 .एक अदद पिकअप महिन्द्रा रजि0नं0 UP60AT3914
- 2. 05 राशि गाय

05. थाना भांवरकोल पुलिस टीम द्वारा 02 किलो 370 ग्राम गांजा व 01 अदद तमन्चा व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा 01 अदद बुलट मोटर साइकिल के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 20.10.2024 को थानाध्यक्ष विवेक तिवारी मय टीम के धनेठा चट्टी के पास चेकिंग के दौरान एक अदद बुलट मोटर साइकिल रिज0नं0 UP61AY5396 अभियुक्त मनोज राय उर्फ झब्बू पुत्र स्व0 पारसनाथ राय ग्राम कुण्डेसर थाना भावरकोल जनपद गाजीपुर उम्र 31 वर्ष के पास से 02 किलो 370 ग्राम गांजा व 01 अदद तमन्चा व 01 अदद जिन्दा कारतुस .315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर स्संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

- 1 .मनोज राय उर्फ झब्बू पुत्र स्व0 पारसनाथ राय ग्राम कुण्डेसर थाना भावरकोल जनपद गाजीपुर उम्र 31 वर्ष । आपराधिक इतिहास
- 1 .मु०अ०सं० ०५८/२०२२ धारा २७२/४१९/४२०/४६७/४६८/४७१ भादवि व ६०(१)/६०(२) आबकारी अधिनियम थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर ।
- 2. मु०अ०सं० 134/2022 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर।
- 3 .मु०अ०सं० 176/2024 धारा ८/२० एन.डी.पी.एस एक्ट व ३/२५ आर्म्स एक्ट थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर।

<u>बरामदगी</u>

- 1. एक अदद बुलट मोटर साइकिल रजि0नं0 UP61AY5396
- 2 .02 किलो 370 ग्राम गांजा

3 .01 अदद तमन्चा व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

पुलिस अधीक्षक गाजीपुर